Regarding need to regulate Micro-Finance Institutions, ensure employment opportunities for secured livelihood and strong social security network for women in Bihar-Laid

श्री सुदामा प्रसाद **(**आरा**) :** यह अत्यंत आवश्यक है कि बिहार की महिलाओं से जुड़े मुद्दों का सरकार गंभीरता से समाधान करे । आचार संहिता लागू होने के दौरान महिलाओं के खातों में 10000 जमा करने का एनडीए सरकार का निर्णय मतदाताओं को प्रभावित करने की एक हताश कोशिश था, न कि कोई वास्तविक कल्याणकारी । जीविका मोबिलाइज़र्सजो सरकार से जुड़े सामुदायिक कार्यकर्ता हैंको चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया, जिससे मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव और राज्य समर्थित तंत्र के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंताएँ उठती हैं । सरकार इस हस्तांतरण को महिलाओं के सशक्तिकरण का उपाय बताती है, परन्तु यह बिहार की महिलाओं के सामने मौजूद गहरे संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान नहीं करता । गरिमा, आर्थिक सुरक्षा और सतत् सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का व्यापक वादा अब भी अधूरा है । स्थिति को माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की बढ़ती मनमानी और आक्रामक ऋण-प्रथाओं ने और गंभीर बना दिया है, अनेक परिवार निरंतर आर्थिक संकट में फँस रहे हैं । एकमुश्त और प्रतीकात्मक उपाय व्यापक सुधारों का विकल्प नहीं हो सकते । बिहार की महिलाओं के लिए MFIs के कड़े विनियमन, सुरक्षित आजीविका के अवसरों के विस्तार,मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र की तत्काल आवश्यकता है ।